Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2017

संख्या 114/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 89 में, उप–नियम (1) में, तृतीय परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु यह और कि समझे गए निर्यातों के रुप में माने गये प्रदायों के संबंध में, आवेदन निम्नलिखित द्वारा दायर किया जा सकता है:–

(क) समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता ; या

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं करता है और इस आशय का वचन देता है कि प्रदायकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकता है, तो वहां समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता''।

3. उक्त नियमों में, नियम 96 क में, उपनियम (1) में, खंड (क) में, ''तीन मास की समाप्ति के पश्चात्'', शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकती है'', शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटी आरएफडी–01 में,–

(क) ''विवरण 2'' के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''विवरण 2 [नियम 89 (2) (ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर के भुगतान के साथ सेवाओं का निर्यात

(राशि रुपयों में)

क्रम संख्या	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी/एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतवर्लितए कीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतवर्लित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10–11)
	संख्या	तिथि	मूल्य	कराधेय मूल्य	राशि		संख्या	तिथि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											।'';

(ख) ''विवरण 4'' के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''विवरण 4 [नियम 89 (2) (घ) और 89 (2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकारः– विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के भुगतान पर) को की गई प्रदायों के मद्दे

(राशि रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक ब्यौरे			पोतपरिवहन पत्र/निर्यात बिल/विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 –11)
	संख्या	तिथि	मूल्य	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											।'' ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 114/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter called the said rules), –

(i) in rule 89, in sub-rule (1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, -

(a) the recipient of deemed export supplies; or

(b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund.".

3. In the said rules, in rule 96A, in sub-rule (1), in clause (a), after the words "after the expiry of three months", the words ", or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be substituted.

4. In the said rules, in **FORM GST RFD-01,-**

(a) for **"Statement-2",** the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Serial Number	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											";-

(b) for **"Statement-4",** the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10 – 11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											."

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55690—C.S.—H.G.P., Chd.